

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8861
(सरल क्रमांक- 7831)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- यकीन ठाकुर

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- स्व 0 श्री पारसमणी ठाकुर
पत्र व्यवहार का पता- एच-15 पुराना सिविल लाईन कवर्धा, जिला-
कबीरधाम (कवर्धा)(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8862
(सरल क्रमांक- 7832)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- अजीत कुमार पैकरा

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- धर्मजीत पैकरा
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-खजुरी, पोस्ट-प्रतापपुर, जिला-
सूरजपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8864
(सरल क्रमांक- 7833)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- तराना बेगम

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- हफीज खान
पत्र व्यवहार का पता- आई.बी.रेस्ट हाऊस के पीछे वार्ड नम्बर 19
जांजगीर, जिला- जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8866
(सरल क्रमांक- 7834)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- प्रवीण तिवारी

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- अनिल तिवारी
पत्र व्यवहार का पता- पुरानी संतोषी मंदिर के पास चांटीडीह सरकण्डा
बिलासपुर, जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8867
(सरल क्रमांक- 7835)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- प्रवीण कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- छगन लाल साहू
पत्र व्यवहार का पता- कृष्क नगर साई कॉलोनी जोरा रायपुर, जिला-
रायपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8868
(सरल क्रमांक- 7836)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- वर्षा ठाकुर

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- सुनील सिंह ठाकुर
पत्र व्यवहार का पता- 4/443 बजरंग नगर रायपुर, जिला- रायपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8869
(सरल क्रमांक- 7837)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- बीरेन्द्र

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- स्व 0 अमर सिंह
पत्र व्यवहार का पता- मकान नम्बर 169 वार्ड 09 खासपारा कन्हारपुरी,
पोस्ट-कन्हारपुरी, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8870
(सरल क्रमांक- 7838)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- पल्लवी यादव

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- पुनीत यादव
पत्र व्यवहार का पता- दैहान पारा छोटी कोनी बिलासपुर, जिला-
बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8872
(सरल क्रमांक- 7839)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- हेमा सोनखरे
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- अमित बाबू सोनखरे
पत्र व्यवहार का पता- वार्ड नम्बर 12, मकान नम्बर 54/551 चिमनीभट्टा
ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा, जिला- कोरबा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8873
(सरल क्रमांक- 7840)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- प्रमोद कुमार बंजारे
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- प्यारे लाल
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-जोरहाडबरी, पोस्ट-खम्हरिया, हरदीबाजार
कोरबा, जिला- कोरबा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8874
(सरल क्रमांक- 7841)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- राजेन्द्र सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- लम्बोदर सिंह

पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-केनाड़ा, पोस्ट-दर्भाठा, तहसील-पोड़ी
उपरोडा, जिला- कोरबा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8875
(सरल क्रमांक- 7842)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- नरेश कुमार साहू
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- भास्कर साहू
पत्र व्यवहार का पता- गायत्री स्कूल, शिवनगर रुमगरा बालको नगर कोरबा,
जिला- कोरबा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8880
(सरल क्रमांक- 7843)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- देवेन्द्र कुमार देवांगन

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- छननू लाल देवांगन
पत्र व्यवहार का पता- कपिल नगर सरकंडा साहू किराना स्टोर के पास
बिलासपुर, जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8881
(सरल क्रमांक- 7844)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- अभिषेक कुमार पाण्डेय
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- प्रदीप पाण्डेय
पत्र व्यवहार का पता- दीक्षित गली रिंग रोड 2 अमेरी चौक बिलासपुर,
जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8882
(सरल क्रमांक- 7845)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- मनजीत

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- चिन्ताराम

पत्र व्यवहार का पता- मुकाम व पोस्ट-कोनार, तहसील-पामगढ़, जिला-
जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8883
(सरल क्रमांक- 7846)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- शशांक शुक्ला

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- उमाकांत शुक्ला
पत्र व्यवहार का पता- केयर ऑफ राजेश दुबे प्रताप सिंह ठाकुर गली,
मिलन चौक कुदुदण्ड बिलासपुर, जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8884
(सरल क्रमांक- 7847)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- कोमेश्वरी देशलहरे

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- चंद्रभूषण
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-सिरसिदा, पोस्ट-मतवारी, तहसील-
गुण्डरदेही, जिला- बालोद(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8885
(सरल क्रमांक- 7848)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- चंद्रप्रकाश साहू
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- खेलन राम साहू
पत्र व्यवहार का पता- वार्ड क्रमांक-02 गांधी नगर रतनपुर, जिला-
बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8886
(सरल क्रमांक- 7849)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- भूपत सिंह साहू

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- कौशल प्रसाद साहू
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-मोहलाई, पोस्ट-चौरैल, तहसील-आर्जुन्दा,
जिला- बालोद(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8887
(सरल क्रमांक- 7850)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- कमल पाण्डेय
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- शिव कुमार पाण्डेय
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-बेलमुण्डी, पोस्ट-सकरा, जिला-
बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8888
(सरल क्रमांक- 7851)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- रुखमणी

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- भजनदास

पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-बगलोटा, मकान नम्बर 29, वार्ड नम्बर 10,
बगलोटा बलौदा बाजार, जिला- बलौदाबाजार-भाठापारा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8890
(सरल क्रमांक- 7852)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- अशोक कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- रमेश कुमार
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-धनगांव, पोस्ट-खटियापाटी, जिला-
बलौदाबाजार-भाठापारा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8893
(सरल क्रमांक- 7853)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- करुणा देवांगन

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- जगदीश प्रसाद देवांगन
पत्र व्यवहार का पता- मकान नम्बर 24, न्यू सिटी पार्क कॉलोनी मोपका
पेट्रोल पंप बिलासपुर, जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8894
(सरल क्रमांक- 7854)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- दिलीप कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- शिवनाथ

पत्र व्यवहार का पता- वार्ड नम्बर 07 पोखरी दफाई खोंगापानी, जिला-
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8895
(सरल क्रमांक- 7855)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- संतोषी साहू

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- भारत राम साहू
पत्र व्यवहार का पता- ओम हास्पिटल के पीछे विकास विहार कॉलोनी
रायपुरा चौक, रायपुर, जिला- रायपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8896
(सरल क्रमांक- 7856)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- आशीष कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- स्व 0 सत्येन्द्र साहू
पत्र व्यवहार का पता- गुडी मोहल्ला खोखसा, जिला- जांजगीर-
चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8897
(सरल क्रमांक- 7857)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- भूपेन्द्र उनसेना

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- चंद्रिका प्रसाद उनसेना
पत्र व्यवहार का पता- ज.ला.ने. कॉलेज के पीछे पुरेन्हा पारा सक्ती, जिला-
सक्ती(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8898
(सरल क्रमांक- 7858)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- डावेन्द्र

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- स्व 0 गजानंद चतुर्वेदी
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-कोलिहापुरी, पोस्ट-पिसेगांव, तहसील-दुर्ग,
जिला- दुर्ग(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8899
(सरल क्रमांक- 7859)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- नोमेश कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- बिहारी

पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-कोनी, पोस्ट-कोदवा, तहसील-भाटापारा,
जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8900
(सरल क्रमांक- 7860)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- दीक्षा साहू
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- कमल प्रसाद साहू
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-बैगनडबरी, पोस्ट-हतौद, तहसील-कसडोल,
जिला- बलौदाबाजार-भाठापारा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8901
(सरल क्रमांक- 7861)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- शिवानंद सोनी

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- शिव कुमार सोनी
पत्र व्यवहार का पता- फिल्टर प्लांट के पास, करबला रोड़, पोस्ट-जशपुर
नगर, जिला- जशपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8903
(सरल क्रमांक- 7862)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- टोपेश्वर लाल साहू
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- करण सिंह
पत्र व्यवहार का पता- एल.आई.जी. 945 सेक्टर 06 हाऊसिंग सड्डू,
जिला- रायपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8904
(सरल क्रमांक- 7863)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- गौरव पाण्डेय

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- अविनाश चन्द्र पाण्डेय

पत्र व्यवहार का पता- एच-12, आफिसर कॉलोनी, पंजरी प्लांट के पास
रायगढ़, जिला- रायगढ़(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8905
(सरल क्रमांक- 7864)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- विजय लाल खाण्डे
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- बेदराम खाण्डे
पत्र व्यवहार का पता- मुकाम व पोस्ट-कुरदा, तहसील-मालखरौदा,
जिला- सक्ती(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8906
(सरल क्रमांक- 7865)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- धीरज कुमार गायगवाल

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- स्व 0 श्री ठंडाराम गायगवाल
पत्र व्यवहार का पता- मकान नम्बर 545 कल्मी डुग्गू, वार्ड 43, दर्री,
तहसील-दर्री, पोस्ट-जमनीपाली, जिला- कोरबा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8907
(सरल क्रमांक- 7866)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- नरेश कुमार राठौर

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- सुरेश कुमार राठौर
पत्र व्यवहार का पता- मुकाम व पोस्ट-पोरथा, तहसील-सक्ती, जिला-
सक्ती(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8908
(सरल क्रमांक- 7867)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- भारत लाल चुरेन्द्र

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- पुरन लाल चुरेन्द्र
पत्र व्यवहार का पता- पुलिस आवासीय परिषद तान्दुला ब्लॉक एफ-2
जिला अस्पताल के पास बालोद, जिला- बालोद(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8909
(सरल क्रमांक- 7868)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- विजय सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- हेम सिंह
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम व पोस्ट-जर्वे, तहसील-बरपाली, जिला-
कोरबा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8912
(सरल क्रमांक- 7869)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- आराधना यादव

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- अभिषेक यादव
पत्र व्यवहार का पता- एच.आई.जी.-48, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी हसदेव
विहार जांजगीर, जिला- जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8913
(सरल क्रमांक- 7870)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- फूलमणी बांधे
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- राजू बांधे
पत्र व्यवहार का पता- हिमालय हाइटम देवपुरी ब्लॉक नम्बर 11, क्वांटर
नम्बर एम.आई.जी. 247 रायपुर, जिला- रायपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8914
(सरल क्रमांक- 7871)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- गौरव सिंह ठाकुर
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- संतोष सिंह ठाकुर
पत्र व्यवहार का पता- यमुना नगर मकान नम्बर 18 मंगला रोड़ बिलासपुर,
जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8915
(सरल क्रमांक- 7872)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- प्रभा गढ़वाल

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- पुरुषोत्तम गढ़वाल
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-जांजगीर, वि.खं.-नवागढ़, तहसील-जांजगीर,
जिला- जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8916
(सरल क्रमांक- 7873)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- खुशबू महिपाल

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- सीताराम

पत्र व्यवहार का पता- ग्राम व पोस्ट-तनौद, तहसील-पामगढ़, थाना-
शिवरीनारायण जांजगीर, जिला- जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8917
(सरल क्रमांक- 7874)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- मंगेश्वर
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- गोरेलाल यादव
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम व पोस्ट-तिलकेजा, मुकाम-खैरभांठा, जिला-
कोरबा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8918
(सरल क्रमांक- 7875)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- विजय आनंद कुर्रे
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- हजारी लाल कुर्रे
पत्र व्यवहार का पता- वार्ड नम्बर 20 जेल रोड भाठापारा खोखरा, पोस्ट-
खोखरा, जिला- जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8919
(सरल क्रमांक- 7876)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- पुष्पेन्द्र कुमार कंवर

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- होरी लाल कंवर
पत्र व्यवहार का पता- चमरा बरपाली, तहसील-बाराद्वार, जिला-
सक्ती(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8920
(सरल क्रमांक- 7877)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- देवीलाल गोपाल

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- सरहू राम गोपाल
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-लखनपुर, पोस्ट-सुतरा, तहसील-पोड़ी
उपरोड़ा, जिला- कोरबा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8921
(सरल क्रमांक- 7878)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- परमेश्वर कुमार राठौर
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- त्रिवेणी प्रसाद राठौर
पत्र व्यवहार का पता- मुकाम व पोस्ट-सपिया, तहसील-अड़भार, जिला-
सक्ती(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8922
(सरल क्रमांक- 7879)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- रवि कांत यादव
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- सीता राम यादव
पत्र व्यवहार का पता- मकान नम्बर 966/2 आर.टी.एस. कॉलोनी तोरवा,
जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8923
(सरल क्रमांक- 7880)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- भूमिका देवांगन

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- चम्पेश्वर लाल देवांगन
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-अर्जुन्दा राम जानकी वार्ड नम्बर 15, पोस्ट-
अर्जुन्दा, तहसील-अर्जुन्दा, जिला- बालोद(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8924
(सरल क्रमांक- 7881)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- बाबूलाल प्रधान

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- परमानंद प्रधान
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-दर्भाठा 'बी', पोस्ट-बोंदा, थाना व
तहसील-सरायपाली, जिला- महासमुंद(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8925
(सरल क्रमांक- 7882)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- दिव्याणी

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- प्रमोद निषाद
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-सारंगपुरी, पोस्ट-खरेंगा, तहसील-धमतरी,
जिला- धमतरी(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8926
(सरल क्रमांक- 7883)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- नेहा कंवर

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- जी0 आर 0 कंवर
पत्र व्यवहार का पता- क्वांटर नम्बर 11/ए, सी-पोंकेट, सेक्टर-मरोदा,
भिलाई नगर, जिला- दुर्ग(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8927
(सरल क्रमांक- 7884)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- दाऊलाल
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- उदल
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-सोमनी, भिलाई 03, पोस्ट-पहंडोर,
तहसील-पाटन दुर्ग, जिला- दुर्ग(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8928
(सरल क्रमांक- 7885)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- राजकुमार

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- दशरथ राम

पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-बमुरहाडीह, पो-भटगांव, तहसील-पथरिया,
जिला- मुंगेली(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8929
(सरल क्रमांक- 7886)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- पूजा राजवाडे

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- बाल कुमार राजवाडे
पत्र व्यवहार का पता- कौहाकण्डा, पहाड़ मंदिर रायगढ़, जिला-
रायगढ़(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8930
(सरल क्रमांक- 7887)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- प्रियंका सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- नीरज सिंह सिसोदिया
पत्र व्यवहार का पता- पुराना चंदनिया पारा वार्ड नम्बर 16 जांजगीर,
जिला- जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8932
(सरल क्रमांक- 7888)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- चूड़ामणी देवांगन

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- लोकनाथ देवांगन

पत्र व्यवहार का पता- मकान नंबर-57, वार्ड नम्बर -02, मुकाम व
पोस्ट-ठठारी, तहसील-जैजैपुर, सक्ती, जिला- सक्ती(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8933
(सरल क्रमांक- 7889)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- आरती उरॉव
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- आनन्दराम उरॉव
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-ढेलारी, पोस्ट-सराईपाली, जिला-
रायगढ़(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8934
(सरल क्रमांक- 7890)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- दिनेश साहू

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- दशेलाल साहू
पत्र व्यवहार का पता- वृंदानगर बोरसी वार्ड क्रमांक-51, देशमुख किराना
स्टोर्स के पीछे दुर्गा, जिला- दुर्ग(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8935
(सरल क्रमांक- 7891)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- दयानंद प्रसाद चौहान
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- परखित राम चौहान
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-पोतरा, तहसील-लैलूंगा, जिला-
रायगढ़(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8936
(सरल क्रमांक- 7892)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- रोमेश सिंह
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- सुकालु राम
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-गनियारी, वार्ड नम्बर 40, तहसील-पाट,
जिला- दुर्ग(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8937
(सरल क्रमांक- 7893)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- लोक नारायण

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- होलेराम

पत्र व्यवहार का पता- वार्ड नम्बर 16, ग्राम-कोसा, पोस्ट-मंचानदुर
(अंडा), तहसील-गुण्डरदेही, जिला- बालोद(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8938
(सरल क्रमांक- 7894)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- मुकेश नेताम

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- बलराम नेताम
पत्र व्यवहार का पता- 9/एनंबर-बी0 सुभाष चंद बोस मार्ग, थाना-
सरस्वती नगर कोटा रायपुर, जिला- रायपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8939
(सरल क्रमांक- 7895)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- कमल साव
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- संतोष कुमार साव
पत्र व्यवहार का पता- 22/14 बी0 एस 0 यू0 पी0 कॉलोनी सेक्टर -08
सड्डू, पोस्ट-सड्डू रायपुर, जिला- रायपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8940
(सरल क्रमांक- 7896)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- जीतेश्वरी गौतम

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- शंकर लाल गौतम
पत्र व्यवहार का पता- चमरीपारा, अकलतरा, कापन, जिला- जांजगीर-
चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8941
(सरल क्रमांक- 7897)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- प्रेरणा तिकी
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- सुबोध तिकी
पत्र व्यवहार का पता- प्रवीण तिकी डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज रायपुर,
जिला- रायपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8942
(सरल क्रमांक- 7898)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- अजय कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- हीरालाल

पत्र व्यवहार का पता- मुकाम व पोस्ट-काशीगढ़, तहसील-थाना-जैजैपुर,
जिला- सक्ती(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8943
(सरल क्रमांक- 7899)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- सूरज कुमार सोनी

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- एकनाथ सोनी

पत्र व्यवहार का पता- गली नम्बर 01 गौरा चौरा के पास वार्ड 57 उरला
रोड़ रामनगर दुर्ग, जिला- दुर्ग(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8944
(सरल क्रमांक- 7900)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- अवधेश कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- देवचरण

पत्र व्यवहार का पता- वार्ड 4 संतोषी चौक, ग्राम-उमरेली, पोस्ट-उमरेली,
तहसील-करतला, जिला- कोरबा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8945
(सरल क्रमांक- 7901)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- दिलेश्वर सिंह कंवर

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- सतपाल सिंह
पत्र व्यवहार का पता- मुकाम व पोस्ट-पुछेली नीम चौक पुछेली, तहसील-
चाम्पा, जिला- जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8946
(सरल क्रमांक- 7902)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- भुवन कुमार ध्रुव

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- पवन सिंह ध्रुव

पत्र व्यवहार का पता- मकान नंबर-16, बजरंग चौक सरईभदर, पोस्ट-
मरौदा, तहसील-मगरलोड धमतरी, जिला- धमतरी(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8947
(सरल क्रमांक- 7903)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- गनपति राठिया

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- काशीराम

पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-पो-ऑ-परसखेत, थाना-करतला, तहसील-
कोरबा, जिला- कोरबा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8948
(सरल क्रमांक- 7904)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- बिरजू

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- फिरतू जांगड़े

पत्र व्यवहार का पता- मकान नम्बर 72 वार्ड क्रमांक-04 भाटापारा, राम
मण्डली चौक, ग्राम-भिनोदा, पोस्ट-गोपालपुर, थाना व तहसील-सरसीवा,
जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8950
(सरल क्रमांक- 7905)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- सुरेश कुमार खाण्डे

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- गया राम खाण्डे
पत्र व्यवहार का पता- खाण्डे निवास सकरेली भांठा, बाराद्वार, जिला-
सक्ती(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8951
(सरल क्रमांक- 7906)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- रामलला राठौर

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- रघुबीर प्रसाद राठौर
पत्र व्यवहार का पता- हा.नंबर-245, ग्राम व पोस्ट-धुरकोट, थाना
जांजगीर, जिला- जांजगीर-चांपा(छ.ग.) 495668

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8952
(सरल क्रमांक- 7907)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- ज्योति बरेठ
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- बंशीधर बरेठ
पत्र व्यवहार का पता- सिंचाई कालोनी सिवनी, जिला- जांजगीर-
चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8953
(सरल क्रमांक- 7908)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- मधुमती

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- जयंत कृपाल
पत्र व्यवहार का पता- वार्ड नंबर-16 शिकारी पारा बालोद पारा बलोद,
जिला- बालोद(छ.ग.) 491226

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8954
(सरल क्रमांक- 7909)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- तेजेश्वनी साहू

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- संतोष साहू
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-गिरसा, पोस्ट-दुरुग, तहसील-भटगांव,
जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़(छ.ग.) 493222

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8955
(सरल क्रमांक- 7910)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- धनेश कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- रामकुमार
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम व पोस्ट-बोरी, थाना बोरी, तहसील-बोरी,
जिला- दुर्ग(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8957
(सरल क्रमांक- 7911)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- पवित्र कुमार साहू
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- छबिराम साहू
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम व पोस्ट-टेंडेसरा, जिला- राजनांगदगांव(छ.ग.)
491441

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8958
(सरल क्रमांक- 7912)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- हिरेंद्र कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- जगदेव

पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-देवगांव, तहसील व पोस्ट-मुंगेली, जिला-
मुंगेली(छ.ग.) 495334

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8959
(सरल क्रमांक- 7913)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- अंकिता चौबे

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- योगेन्द्र चौबे

पत्र व्यवहार का पता- नैला दर्रीपारा, वार्ड नंबर-2, जिला- जांजगीर-
चांपा(छ.ग.) 495668

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8960
(सरल क्रमांक- 7914)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- सुकृता कुर्रे

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- हेतराम

पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-नवागोंव, पोस्ट-आमनदुला, तहसील-
मालखरौदा, जिला- सक्ती(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8962
(सरल क्रमांक- 7915)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- संजय कुमार नेताम

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- मोती राम नेताम
पत्र व्यवहार का पता- वार्ड क्र. 01, सिंचाई कॉलोनी भटगांव, जिला-
बलौदाबाजार-भाठापारा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8963
(सरल क्रमांक- 7916)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- विकास कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- जगेन्द्र कुमार
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम व पोस्ट-मोहला, तहसील-मोहला, जिला-
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी(छ.ग.) 491666

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8964
(सरल क्रमांक- 7917)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- नवीन कुमार देवांगन

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- गोपाल कृष्ण देवांगन
पत्र व्यवहार का पता- होलिका चौक देवगांव पारा वार्ड क्र. 8 तखतपुर,
जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8965
(सरल क्रमांक- 7918)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- ऋतु

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- लीला राम

पत्र व्यवहार का पता- मुकाम व पोस्ट-तालदेवरी, व्हाया बिरा, ब्लाक
बम्हनीडीह, जिला- जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8966
(सरल क्रमांक- 7919)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- दीपा लहरी

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- बलिराम लहरी
पत्र व्यवहार का पता- के/ऑफ अनुज कुमार भारती, 14-ब्लॉक शिवनंद
नगर सेक्टर 03 गोन्दवारा रोड नियर रेल्वे क्रोसिंग, जिला- रायपुर(छ.ग.)
492008

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8967
(सरल क्रमांक- 7920)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- कर्तिक साहू

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- जगत राम साहू
पत्र व्यवहार का पता- मुकाम व पोस्ट-तिवारी पारा खरौद, जिला-
जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8968
(सरल क्रमांक- 7921)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- रमा निर्मलकर
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- समय लाल निर्मलकर
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-खम्हरिया, पोस्ट-पुरई, वार्ड नंबर-15, थाना
उतई, तहसील-दुर्ग, जिला- दुर्ग(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8969
(सरल क्रमांक- 7922)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- रितेश कुमार कहरा

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- पंचराम कहरा

पत्र व्यवहार का पता- इंदिरा नगर वार्ड नंबर-21 जांजगीर, जिला-
जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8970
(सरल क्रमांक- 7923)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- नागेश कुमार धिरही

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- सम्मेलाल धिरही
पत्र व्यवहार का पता- मुकाम व पोस्ट-कुसमुल बराहीपारा, थाना व
तहसील-डभरा, जिला- सक्ती(छ.ग.) 495695

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8971
(सरल क्रमांक- 7924)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- सलीम बड़ा

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- नरेश बड़ा
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-छिपनिया, पोस्ट-उलकिया, थाना व
तहसील-सीतापुर, जिला- सरगुजा स्थान अंबिकापुर(छ.ग.) 497114

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8972
(सरल क्रमांक- 7925)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- अजीत कसार
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- जुगल किशोर कसार
पत्र व्यवहार का पता- विकास मेटल स्टोर्स सत्ती बाजार रायपुर, जिला-
रायपुर(छ.ग.) 492001

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8973
(सरल क्रमांक- 7926)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- यज्ञदत्त शर्मा

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- मनहरन लाल शर्मा
पत्र व्यवहार का पता- मकान 105, वार्ड नंबर-8, रतनपुर, जिला-
बिलासपुर(छ.ग.) 495442

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8975
(सरल क्रमांक- 7927)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- ऋषभ कुमार गुप्ता
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- पी.पी. गुप्ता
पत्र व्यवहार का पता- अमन पब्लिक स्कूल प्रगति नगर केम्प-1 भिलाई,
जिला- दुर्ग(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8976
(सरल क्रमांक- 7928)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- ऋषभ पूरी गोस्वामी

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- रोशन पूरी गोस्वामी
पत्र व्यवहार का पता- केबीटी एमआईजी 295 दीनदयाल कॉलोनी मंगला
बिलासपुर, जिला- बिलासपुर(छ.ग.) 495001

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8977
(सरल क्रमांक- 7929)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- नवरत्न कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- हीरालाल
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम व पोस्ट-गिरौधपुरी, तहसील-टुण्डरा, जिला-
बलौदाबाजार-भाठापारा(छ.ग.) 493344

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8978
(सरल क्रमांक- 7930)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- भूपेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- ढाल सिंह साहू
पत्र व्यवहार का पता- हा.नंबर-772, वार्ड नंबर-19 चंदखुरी दुर्ग, जिला-
दुर्ग(छ.ग.) 491221

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8979
(सरल क्रमांक- 7931)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- ईश्वर साहू

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- शम्भू साहू

पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-कल्याणपुर, पोस्ट-सिल्हाटी, तहसील-
सहसपुर लोहारा, जिला- कबीरधाम (कवर्धा)(छ.ग.) 491995

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8981
(सरल क्रमांक- 7932)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- चन्द्रमोहन रातड़े
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- दयाराम
पत्र व्यवहार का पता- मु व पोस्ट-सिंघरा, थाना व तहसील-मालखरौदा,
जिला- सक्ती(छ.ग.) 495691

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8982
(सरल क्रमांक- 7933)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- धनसाय साहू
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- फिरत राम साहू
पत्र व्यवहार का पता- मुकाम कड़ारी, पोस्ट-दारंग, जिला- जांजगीर-
चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8984
(सरल क्रमांक- 7934)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- लिलक राम मरकाम
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- नैन सिंह मरकाम
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-लोकईपुर, पो चिरहुला, थाना मुंगेली, जिला-
मुंगेली(छ.ग.) 495334

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8985
(सरल क्रमांक- 7935)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- तरुण कुमार कसेर

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- ईश्वर प्रसाद कसेर

पत्र व्यवहार का पता- महादेव, घाट कसेर पारा चांपा, जिला- जांजगीर-
चांपा(छ.ग.) 495671

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8986
(सरल क्रमांक- 7936)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- वैभव गुप्ता

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- लक्ष्मीनारायण गुप्ता
पत्र व्यवहार का पता- स्टेट बैंक के सामने मेनरोड करगी रोड कोटा वार्ड
नंबर-08, जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8990
(सरल क्रमांक- 7937)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- मोंगरा ध्रुव

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- दुर्गा सिंह उइके
पत्र व्यवहार का पता- वार्ड नंबर-06, नगर पंचायत बोहरी बिलासपुर,
जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8993
(सरल क्रमांक- 7938)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- कृष्ण कुमार श्रीवास

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- राकेश कुमार श्रीवास
पत्र व्यवहार का पता- अम्बेडकर चौक एक्सिस बैंक के पास अकलतरा,
जिला- जांजगीर-चांपा(छ.ग.) 495552

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8994
(सरल क्रमांक- 7939)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- प्रगति राजपूत

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- सैन सिंह
पत्र व्यवहार का पता- वार्ड नंबर-21, सुन्दरलाल शर्मा वार्ड बिरगांव
रायपुर, जिला- रायपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8995
(सरल क्रमांक- 7940)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- सृष्टि गुप्ता

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- वैभव केशरवानी

पत्र व्यवहार का पता- जनपद पंचायत पत्थलगांव शाखा एनआरएलएम
ऑफिस, जिला- जशपुर(छ.ग.) 496118

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8996
(सरल क्रमांक- 7941)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- साहिल महिलांग

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- मदन लाल महिलांग

पत्र व्यवहार का पता- मकान ई.डब्ल्यू.एस. 1806, छ.ग. हाउसिंग बोर्ड
कॉलोनी इंडस्ट्रियल सरिया भिलाई नगर, जिला- दुर्ग(छ.ग.) 490026

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 8997
(सरल क्रमांक- 7942)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- भुनेश्वरी साहू

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- अश्वनी कुमार साहू
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-बुड़नी, पोस्ट-भेण्ड्री, तहसील-मगरलोड,
जिला- धमतरी(छ.ग.) 493885

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 8999
(सरल क्रमांक- 7943)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- यामिनी सिदार
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- जय प्रकाश सिदार
पत्र व्यवहार का पता- एम.डी. 886 दीपका कालोनी गेवरा परियोजना
कोरबा, जिला- कोरबा(छ.ग.) 495452

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9000
(सरल क्रमांक- 7944)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- नीलम

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- बहादुर चौधरी
पत्र व्यवहार का पता- डॉ. आम्बेडकर वार्ड नंबर-बौद्ध विहार के पीछे
डोंगसगढ़, जिला- राजनांगदगांव(छ.ग.) 491445

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9001
(सरल क्रमांक- 7945)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- गिरजा शंकर मन्नाडे

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- मोहन लाल मन्नाडे
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम व पोस्ट-ऑफिस कठिया नंबर-2 तहसील-
अभनपुर, जिला- रायपुर(छ.ग.) 493661

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9002
(सरल क्रमांक- 7946)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- जितेन्द्र

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- शिव सिंह

पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-रेंकी, तहसील-हरदीबाजार कोरबा, जिला-
कोरबा(छ.ग.) 495446

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9003
(सरल क्रमांक- 7947)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- प्रीति यादव

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- पन्नालाल यादव

पत्र व्यवहार का पता- नगर पंचायत दुरीकला वार्ड क्र. 09 कोरबा, जिला-
कोरबा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9006
(सरल क्रमांक- 7948)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- वर्षा सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- लालचन्द सिंह

पत्र व्यवहार का पता- वर्षा सिंह पिता लालचन्द सिंह सिद्धि विनायक मंदिर
के पास रतनपुर बिलासपुर, जिला- बिलासपुर(छ.ग.) 495442

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9007
(सरल क्रमांक- 7949)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- जयंती
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- भरत लाल
पत्र व्यवहार का पता- गोपाल फोटोकापी छिरा कटघोरा, पोस्ट-कटघोरा,
जिला- कोरबा(छ.ग.) 495445

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9008
(सरल क्रमांक- 7950)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- सरिता कर्ष
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- अमित कुमार कर्ष
पत्र व्यवहार का पता- क्वार नं. एफ-1108 कैलाश विहार सीएसईबी
कॉलोनी प 0 जेलगांव, पोस्ट- जमनीपाली एनटीपीसी, तह. दर्री, जिला-
कोरबा(छ.ग.) 495450

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9009
(सरल क्रमांक- 7951)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- बजरंग प्रसाद अहीर

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- रामचरण अहीर
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-कोरबी, पोस्ट-सुतरा, थाना कटघोरा, जिला-
कोरबा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9010
(सरल क्रमांक- 7952)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- चेल्सी
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- कौशल कुमार
पत्र व्यवहार का पता- शा.औ.प्र.सं. तिल्दा नेवरा, पोस्ट-तिल्दा, जिला-
रायपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9011
(सरल क्रमांक- 7953)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- अंजू कश्यप

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- दिलेश्वर प्रसाद
पत्र व्यवहार का पता- मुकाम व पोस्ट-हरदी, तहसील-नवागढ़, जिला-
जांजगीर-चांपा(छ.ग.) 495668

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9013
(सरल क्रमांक- 7954)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- ऋषभ यादव

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- सुरेश कुमार यादव
पत्र व्यवहार का पता- फग्गु कुम्हार गली नंबर-01 जरहाभाठा बिलासपुर,
जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9014
(सरल क्रमांक- 7955)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- आरती बंजारा
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- संजीव कुमार बंजारा
पत्र व्यवहार का पता- शांति विहार रजागामार रोड कोसाबाड़ी कोरबा,
जिला- कोरबा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9015
(सरल क्रमांक- 7956)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- जीतू साहू

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- कृपाराम साहू
पत्र व्यवहार का पता- मुकाम पोस्ट-सेमरदर्री ग्राम-सेमरदर्री तहसील-
मरवाही, जिला- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही(छ.ग.) 495118

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9016
(सरल क्रमांक- 7957)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- हर्षलाल

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- मनहरण लाल

पत्र व्यवहार का पता- ग्राम व पोस्ट-काशीगढ़, तहसील-जैजैपुर, जिला-
सक्ती(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9017
(सरल क्रमांक- 7958)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- मंदीप सोनेकर
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- गोवर्धन सोनेकर
पत्र व्यवहार का पता- सिविल लाईन जांजगीर वार्ड नंबर-15, जिला-
जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9018
(सरल क्रमांक- 7959)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- दूजी साहू गजपाल

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- दिवेश कुमार गजपाल

पत्र व्यवहार का पता- फ्लैट नंबर-302, लक्ष्मी एन्क्लेव इस्पात नगर रिसाली
भिलाई दुर्ग, जिला- दुर्ग(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9019
(सरल क्रमांक- 7960)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- किरण गुप्ता
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- गोकुल प्रसाद गुप्ता
पत्र व्यवहार का पता- शितला माता मंदिर कृष्णा नगर जुना बिलासपुर,
जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9020
(सरल क्रमांक- 7961)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- लक्ष्मी प्रसाद पोर्ते

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- रामायण सिंह पोर्ते
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-दर्दीकापा, पोस्ट-भरारी, तहसील-तखतपुर
बिलासपुर, जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9021
(सरल क्रमांक- 7962)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- लक्ष्मणा

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- मान सिंह
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-बंधवाभांठा, पोस्ट-सरगबुंदिया, जिला-
कोरबा(छ.ग.) 495674

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9022
(सरल क्रमांक- 7963)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- मोहन लाल

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- चन्द्रशेखर
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-घोघरा मंदिर पारा वार्ड नंबर-13 घोंच
तहसील-पिथौरा, जिला- महासमुंद(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9023
(सरल क्रमांक- 7964)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- अभिषेक कुमार कर्ष

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- तिरीथ लाल कर्ष
पत्र व्यवहार का पता- क्वा.नंबर-एफ-1108 कैलाश विहार एचटीपीएस
कॉलोनी जेलगांव, पोस्ट-जमनीपाली, एनटीपीसी, तहसील-दर्री, जिला-
कोरबा(छ.ग.) 495450

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9024
(सरल क्रमांक- 7965)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- सूरज देवांगन

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- सतीश देवांगन

पत्र व्यवहार का पता- दीपा ब्युटी पार्लर प्रगति विहार कालोनी संतोषी नगर
रायपुर, जिला- रायपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9025
(सरल क्रमांक- 7966)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- राकेश कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- रूपचन्द

पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-बैहाकापा, पोस्ट-कारेमार्, तहसील-मुंगेली,
जिला- मुंगेली(छ.ग.) 495334

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9026
(सरल क्रमांक- 7967)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- लेखू राम साहू

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- खिलेश राम साहू
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-आमाचानी पोस्ट-भोथीडीह, तहसील-
मगरलोड धमतरी, जिला- धमतरी(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9027
(सरल क्रमांक- 7968)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- किशोर कुमार जैन

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- पमु राम जैन

पत्र व्यवहार का पता- मठपुरैना रावतपुरा नगर फेस-01 रायपुर, जिला-
रायपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9028
(सरल क्रमांक- 7969)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- हरिकिशन बरेठ
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- फिरत राम
पत्र व्यवहार का पता- वार्ड नंबर-11, ग्राम-रसौटा, तहसील-पामगढ़,
जिला- जांजगीर-चांपा(छ.ग.) 495554

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9029
(सरल क्रमांक- 7970)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- आरती देवांगन
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- मनोज देवांगन
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम व पोस्ट-रानीगांव, तहसील व थाना रतनपुर,
जिला- बिलासपुर(छ.ग.) 495442

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9030
(सरल क्रमांक- 7971)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- शुभम कुमार राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- निरंजन कुमार राजवाड़े
पत्र व्यवहार का पता- बिलासपुर रोड सांकरा सोण्डरा रायपुर, जिला-
रायपुर(छ.ग.) 493221

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9032
(सरल क्रमांक- 7972)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- प्रशांत लदेर
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- प्रीतम लदेर
पत्र व्यवहार का पता- मंझोतपारा वार्ड नंबर-13 जांजगीर, जिला-
जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9033
(सरल क्रमांक- 7973)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- नीलमसंजीव
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- सुभाष चन्द्र
पत्र व्यवहार का पता- मुकाम व पोस्ट-भैंसतरा, व्हाया जांजगीर, तहसील-
अकलतरा, जिला- जांजगीर-चांपा(छ.ग.) 495668

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9034
(सरल क्रमांक- 7974)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- गोपाल मूर्ति
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- कृष्ण मूर्ति
पत्र व्यवहार का पता- मकान 05, स्टॉक क्वार्टर-2 विवेकानंद विद्यापीठ
रामकृष्ण परमहंस नगर कोटा, जिला- रायपुर(छ.ग.) 492010

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9035
(सरल क्रमांक- 7975)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- दीपक कुमार चतुर्वेदी
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- रामदास चतुर्वेदी
पत्र व्यवहार का पता- वार्ड क्र. 52, बोरसी बस्ती शीतला मंदिर के पास
हनोदा रोड, जिला- दुर्ग(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9036
(सरल क्रमांक- 7976)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- पल्लव देवांगन

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- एम.आर. देवांगन
पत्र व्यवहार का पता- पी.वी.एस.-19 प्रगति विहार कॉलोनी मट दिवघाट
रौंड अमलेश्वर तहसील-पाटन, जिला- दुर्ग(छ.ग.) 491111

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9037
(सरल क्रमांक- 7977)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- प्रतीक्षा शुक्ला

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- के.पी. शुक्ला

पत्र व्यवहार का पता- विजयापुरम कालोनी फेस-01 क्वा.नंबर-ई/65

सेक्टर ई सीपत रोड बिलासपुर, जिला- बिलासपुर(छ.ग.) 495006

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9038
(सरल क्रमांक- 7978)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- जय तिवारी

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- कृष्ण कुमार तिवारी
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-बिछिया टोला पोस्ट-केल्हारी, जिला-
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर(छ.ग.) 497442

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9039
(सरल क्रमांक- 7979)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- परमेश्वर मनहर

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- तेजराम मनहर
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-देवरानी, पोस्ट-सिलादेही, तहसील-
बम्हनीडीह, जिला- जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9040
(सरल क्रमांक- 7980)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- मधुरानी पटेल

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- नरेश कुमार पटेल
पत्र व्यवहार का पता- राधाकृष्ण मंदिर गली शीतलापारा हरकेश्वर तहसील
एवं पोस्ट-धमतरी, जिला- धमतरी(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9041
(सरल क्रमांक- 7981)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- जागृति सोनी

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- लीलाम्बर सोनी
पत्र व्यवहार का पता- एमक्यूडी-15 बालगीर प्रोजेक्ट कोरबा, जिला-
कोरबा(छ.ग.) 495455

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9042
(सरल क्रमांक- 7982)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- भीखम कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- नंदकिशोर
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम व पोस्ट-कुम्हली, तहसील-मोहला, जिला-
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी(छ.ग.) 491666

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9043
(सरल क्रमांक- 7983)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- रविशंकर गवेल

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- यशवन्त कुमार
पत्र व्यवहार का पता- मकान 351, समरिद्धि विहार कॉलोनी ग्राम-सेन्दरी,
जिला- बिलासपुर(छ.ग.) 495009

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9044
(सरल क्रमांक- 7984)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- नीतू वर्मा
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- कृष्ण कुमार वर्मा
पत्र व्यवहार का पता- इंदिरा नगर हथखोज वार्ड नंबर-01 भिलाई, जिला-
दुर्ग(छ.ग.) 490026

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9045
(सरल क्रमांक- 7985)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- नीलकमल साहू

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- सुकुल साहू
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-कुरुद, पोस्ट-पाण्डुका, तहसील-छुरा,
जिला- गरियाबंद(छ.ग.) 492109

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9046
(सरल क्रमांक- 7986)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- ओमप्रकाश गंगबोईर

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- सी.एल. गंगबोईर
पत्र व्यवहार का पता- स्ट्रीट क्र. 32, क्वा.नंबर-12/ए सेक्टर क्र. 04,
भिलाई नगर दुर्ग, जिला- दुर्ग(छ.ग.) 490001

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9047
(सरल क्रमांक- 7987)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- सहदेव प्रसाद सूर्यवंशी

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- होरीलाल
पत्र व्यवहार का पता- कृषि विज्ञान केन्द्र पनारापारा बीजापुर, जिला-
बीजापुर (छ.ग.) 494444

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9048
(सरल क्रमांक- 7988)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- विनय श्रीवास्तव

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- विजय कुमार श्रीवास्तव
पत्र व्यवहार का पता- हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हाउस नंबर-119 सिवनी,
जिला- बालोद(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9049
(सरल क्रमांक- 7989)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- हेमन्त कुमार यादव

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- लतेल राम यादव
पत्र व्यवहार का पता- क्वार नंबर-टी-दो/13 एसईसीएल मानिकडर
कॉलोनी कोरबा, जिला- कोरबा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9050
(सरल क्रमांक- 7990)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- मनोज कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- घासीराम
पत्र व्यवहार का पता- मुकाम व पोस्ट-सेमरा, तहसील-नवागढ़, जिला-
जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9051
(सरल क्रमांक- 7991)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- कतिकेय शर्मा

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- महेश कुमार शर्मा
पत्र व्यवहार का पता- ए-44 प्रियदर्शिना नगर व्यापार विहार रोड
बिलासपुर, जिला- बिलासपुर(छ.ग.) 495001

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9052
(सरल क्रमांक- 7992)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- देवेन्द्र कश्यप
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- केदारनाथ कश्यप
पत्र व्यवहार का पता- मुकाम व पोस्ट-पेण्ड्री पेण्ड्री जांजगीर, जिला-
जांजगीर-चांपा(छ.ग.) 495668

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9053
(सरल क्रमांक- 7993)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- सुदर्शन प्रसाद यादव
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- गंभीर प्रसाद यादव
पत्र व्यवहार का पता- वार्ड नंबर-03, सॉई नगर उसलापुर बिलासपुर,
जिला- बिलासपुर(छ.ग.) 495003

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9054
(सरल क्रमांक- 7994)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- चेतन सिंह बंजारे
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- यादराम बंजारे
पत्र व्यवहार का पता- मुकाम कुटराबोड़, पोस्ट-ओड़ेकेरा, तहसील-
हसौद, जिला- सक्ती(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9055
(सरल क्रमांक- 7995)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- आशुतोष गढ़वाल

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- रमेश गढ़वाल

पत्र व्यवहार का पता- यू.पी.एन. 22/01/95 केरा रोड जांजगीर नियर
इंग्लिश वाइट शॉप, जिला- जांजगीर-चांपा(छ.ग.) 495668

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALWA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9056
(सरल क्रमांक- 7996)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- उर्वशी

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- गंगा राम
पत्र व्यवहार का पता- सिंघोला पूरसबिरही, पोस्ट-सिंघोला, थाना डौडी,
जिला- बालोद(छ.ग.) 491226

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9057
(सरल क्रमांक- 7997)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- राजीव देवांगन
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- मूलचंद देवांगन
पत्र व्यवहार का पता- नहर के पास वार्ड-8 चॉपा रोड जांजगीर, जिला-
जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9058
(सरल क्रमांक- 7998)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- देवेन्द्र कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- दिवान सिंह

पत्र व्यवहार का पता- वार्ड नंबर-02 मकान नंबर-29 ग्राम-खम्हारटोला
पोस्ट-चिखलाकसा तहसील-डोंडी बालोद, जिला- बालोद(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9059
(सरल क्रमांक- 7999)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- संजय कुमार वर्मा
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- ईश्वरी वर्मा
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-परतेवा, पोस्ट-देवरी, थाना-राजिम, जिला-
गरियाबंद(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9060
(सरल क्रमांक- 8000)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- निशा ध्रुव

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- जगन्नाथ ध्रुव
पत्र व्यवहार का पता- पोस्ट-चकरभाठा (केम्प), तहसील-बोदरी
बिलासपुर, जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9061
(सरल क्रमांक- 8001)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- शशि मरकाम

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- दयाराम मरकाम
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-ठेमगाँव पोस्ट-लूभा तहसील-माकड़ी
कोण्डागाँव, जिला- कोण्डागाँव(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9062
(सरल क्रमांक- 8002)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- अंजू भगत
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- अकबर राम भगत
पत्र व्यवहार का पता- कठमटोली वार्ड नम्बर 01 जशपुर नगर जशपुर,
जिला- जशपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9063
(सरल क्रमांक- 8003)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- वन्दना राठौर

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- अमृतलाल राठौर
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-बीड़, पोस्ट-बीड़, तहसील-जैतहरी,
अनूपपुर, जिला- अनूपपुर(मध्यप्रदेश)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9064
(सरल क्रमांक- 8004)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- शंकर प्रसाद गुप्ता

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- नरेश कुमार गुप्ता
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-भदार पोस्ट-कमारी तहसील-राजपुर, जिला-
बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9065
(सरल क्रमांक- 8005)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- अरुण कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- बिरिछ लाल

पत्र व्यवहार का पता- मुकाम पोस्ट-कुरदा, तहसील-मालखरौदा सक्ती,
जिला- सक्ती(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9066
(सरल क्रमांक- 8006)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- भूपेन्द्र कुमार केंवट

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- सुरेश कुमार केंवट
पत्र व्यवहार का पता- वार्ड क्रं 16 लोवर भैसा दफाई, हल्दीबाड़ी चिरमिरी,
जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9067
(सरल क्रमांक- 8007)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- प्रसन्न कुमार दुबे

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- प्रफुल्ल कुमार दुबे
पत्र व्यवहार का पता- वार्ड क्रमांक-03, दम्मानी कॉलोनी प्रसन्न कूज
गोबरा नवापारा, तहसील-नवापारा रायपुर, जिला- रायपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9068
(सरल क्रमांक- 8008)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- प्रवीण सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- धनेश्वर राम

पत्र व्यवहार का पता- आकाश विहार कॉलोनी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल
के पास अशोक नगर सरकंडा बिलासपुर, जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9069
(सरल क्रमांक- 8009)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- मधु राजगीर

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- दिलीप राजगीर

पत्र व्यवहार का पता- जरहाभाठा मछवापारा, कुम्हारपारा सोनवानी गली
बिलासपुर, जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9070
(सरल क्रमांक- 8010)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- घासीराम जांगड़े

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- श्याम सुन्दर जांगड़े
पत्र व्यवहार का पता- होटल ड्रीम पाईट के पीछे जांजगीर, जिला-
जांजगीर-चांपा(छ.ग.) 495668

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9072
(सरल क्रमांक- 8011)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- नीता चौहान
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- फिरत चौहान
पत्र व्यवहार का पता- 720 वार्ड नंबर 48 माया डी.जे. रोड मोपका,
जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9073
(सरल क्रमांक- 8012)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- सुनिधी कंवर
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- धीरेन्द्र कंवर
पत्र व्यवहार का पता- मुकाम व पोस्ट-भैसमा, जिला- कोरबा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9074
(सरल क्रमांक- 8013)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- नित्यानंद
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- भास्कर
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-चंधोरी, पोस्ट-बाराडोली थाना पुरसौर
रायगढ़, जिला- रायगढ़(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9075
(सरल क्रमांक- 8014)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- सुनिल कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- लैन दास
पत्र व्यवहार का पता- मीनीमाता नगर तालापारा बिलासपुर, जिला-
बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये हैं एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9076
(सरल क्रमांक- 8015)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- कविता कैवर्त्य

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- शलेन कुमार केंवट
पत्र व्यवहार का पता- वार्ड नंबर-21 भाठापारा भोजपुर रेलवे फाटक के
पास चांपा, जिला- जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9077
(सरल क्रमांक- 8016)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- आशीष यादव

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- मनीराम यादव
पत्र व्यवहार का पता- एल आई जी 438 सेक्टर 4 दीनदयाल कॉलोनी
मंगला, जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों/ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3
रोल नंबर :- AG3- 9078
(सरल क्रमांक- 8017)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रूम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- अभिषेक गिरी
पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- बृजकिशोर गिरी
पत्र व्यवहार का पता- ग्राम-कटंगतराई, पोस्ट- पत्थलगांव, जिला-
जशपुर(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9079
(सरल क्रमांक- 8018)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- नीलू

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- फलित राम खुटे
पत्र व्यवहार का पता- मुकाम व पोस्ट- गिरौदपुरी, जिला- बलौदाबाजार-
भाठापारा(छ.ग.)

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILENDRA
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल

लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें,

एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को परीक्षा केन्द्र में जमा करें।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

// सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

परीक्षा का नाम :- सहायक ग्रेड-3

रोल नंबर :- AG3- 9080
(सरल क्रमांक- 8019)

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिज्ञासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गट्टानी होंडा
शो-रुम के पास, चांपा रोड, जांजगीर

आवेदक का स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा का दिनांक व समय :- 20-04-2025 समय- प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :- ईश्वरी

पिता/पति का नाम :- श्री/श्रीमति/कु.- केशव कुमार उइके
पत्र व्यवहार का पता- वार्ड नंबर 42, चन्द्रशेखर, आजाद नगर,
सतबहिनिया मंदिर के पास नारायण आटा चक्री के बगल में, देवरी खुर्द,,
जिला- बिलासापुर(छ.ग.) 495004

// परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश //

- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति में अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में आमसूचना एवं परिपत्र को प्रिंट कराना अनिवार्य होगा।
- पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा। बिना प्रवेश पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। वीक्षकों /ड्यूटीरत अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- लिखित परीक्षा एवं विशेष रूप से प्रवेश पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं।

SHAILendra
CHALUJA

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जनरल

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 / (Mis.)

बिलासपुर, दिनांक 2.3 / 10 / 2024

“छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

SD/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल